संख्या-**2023/ 001-169422023**

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक जनवरी**, 2023**

विषय:- जनपद गौतमबुद्धनगर में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग हाल, कबड्डी, वालीबाल, बास्केटबाल एवं बाक्सिंग खेलों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं युक्त खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 786/नि0 गौतमबुद्धनगर स्टे0पत्रा0/2021-22, दिनांक 20.10.2022 एवं शासनादेश संख्या-676/बयालिस-2020-25(विविध)/2011, दिनांक 15.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-2178/बयालिस-2021-25(विविध)/2011, दिनांक 30.12.2021 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग हाल, कबड्डी, वालीबाल, बास्केटबाल एवं बाक्सिंग खेलों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं युक्त खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 1905/बयालिस-2011-25(विविध)/2011, दिनांक 21.12.2011 द्वारा रू0 1424.77 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या– 1193/बयालिस-2012-25(विविध)/2011, दिनांक 16 अगस्त, 2012, शासनादेश संख्या– 2420/बयालिस-2012-25(विविध)/2011, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या– 1150/बयालिस-2013-25(विविध)/2011, दिनांक 13 मई, 2013, शासनादेश संख्या– 2890/बयालिस-2013-25(विविध)/2011, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013, शासनादेश संख्या– 802/बयालिस-2014-25(विविध)/2011, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी थी। उक्त कार्य हेतु मूल स्वीकृति लागत में कार्य पूर्ण न होने के कारण निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 2162.62 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 935/बयालिस-2016-25(विविध)/2011, दिनांक 09 जून, 2016 तथा उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्गत करने के उपरान्त एक बार पुन: उक्त धनराशि में कार्य न पूर्ण होने के कारण आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (वित्त व्यय समिति) द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 2672.60 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की शासनादेश संख्या-2068/बयालिस-2020-25(विविध)/2011, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्नगत योजना हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत योजना हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 108.98 लाख (रुपये एक करोड़ आठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 108.98 लाख (रुपये एक करोड़ आठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज लि0 (उत्तर प्रदेश जल निगम) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- प्रस्तावित निर्माण कार्यों को अनुमोदित लागत के अन्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3)- प्रायोजना की लागत आंकलन में जुलाई, 2017 के उपरान्त क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित की गयी है, जो कि वास्तविकता के आधार पर देय होगी। निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों पर स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आर्थाटि से स्वीकृत कराया जाये।

(5)- प्रायोजनान्तर्गत धौलपुर स्टोन क्लेरडिंग, फाल्स सीलिंग, वुडेन फ्लोरिंग का प्राविधान है, जो लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है। जिस पर नियमानुसार सक्षम उच्च स्तर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन पूर्व में प्राप्त कर लिया गया है।

(6)- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में ट्रान्स्फार्मर, डी0जी0 सेट, हाई मास्ट सिन्थेटिक टर्फ, नेट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सेन्ट्रलाइज्ड एयर कन्डीशन की लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। इस इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माणकर्ताओं से प्रतिस्पार्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निदेशक, खेल द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को समिति द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, उसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(8)- प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(10)- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(11)- प्रायोजनान्तार्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विवरावृत्ति (डुप्लीकेशी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(13)- कार्य की विशिष्टियां/मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी।

(14)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर/कास्टओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(16)- कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित
किया जायेगा।

(17)- वित्त आय-व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04.11.2022 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण व्यय की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19)- शासनादेश संख्या- 1905/बयालिस-2011-25(विविध)/2011, दिनांक 21.12.2011, शासनादेश संख्या – 935/बयालिस-2016-25(विविध)/2011, दिनांक 09 जून, 2016, शासनादेश संख्या -2068/बयालिस-2020-25(विविध)/2011, दिनांक 12 मार्च,2021, शासनादेश संख्या -676/बयालिस-2020-25(विविध)/2011, दिनांक 15.03.2021 एवं शासनादेश संख्या -2178/बयालिस-2021-25(विविध)/2011, दिनांक 30.12.2021 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(20)- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानक एवं उच्च कोटि की हो, इस हेतु निदेशक, खेल कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यो का निरीक्षण समय-समय पर करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ता समिति से जॉच कराने के उपरान्त स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही हैण्डओवर टेकओवर की कार्यवाही करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,08,98,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038007400 पश्चिमी उ.प्र. में कुश्ती, कबड्डी, वेटलिफ्टिगं हाल, वालीबाल, बास्केट बाल एवं बाक्सिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2023/001-169422023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5- प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज लि0 (उत्तर प्रदेश जल निगम),

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

8- नियोजन विभाग- 4

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।